न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 93 / 2017
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – लवेरा

उनवान

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राव निवासी ग्राम गादेरी

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह
2. राजवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राव निवासी ग्राम गादेरी
3. भवानी सिंह पुत्र जसवंतन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम ग़ादेरी
4. ओमकंवर पत्नी जसवंत सिंह जाति राव निवासी गादेरी हाल 327 / 37 शिवमंदिर के पास नृसिंहपुरा जोसगंज अजमेर
5. सुरजकरण पुत्र मिश्रीलाल जाट
6. छगनलाल पुत्र रायचन्द जाट
7. मोती पुत्र रायचन्द जाट
8. रोडू पुत्र चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम गादेरी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :–08.6.18

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी पटवार क्षेत्र गादेरी के खाता संख्या 102 / 477 किता 1 रकबा 0.47, खाता संख्या 103 / 465,466 किंता 13 रकबा 2.3, खाता संख्या 104 / 465, 466 किंता 7 रकबा 2.38, खाता संख्या 105 / 112 किंता 4 रकबा 0.32, खाता संख्या 231 / 298 किंता 2 रकबा 0.04 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी /सहकाश्तकारी पुश्तैनी भूमि है। उक्त आराजीयात रिकार्ड एवं मौके पर अविभाजित है एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है उक्त आराजी का आदिनांक तक विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी करते है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

Scanned by CamScanner

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट लवेरा में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1,2 5 से 8 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 1,2 5 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 4 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंटवारे हेतु आराजी कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में बंटवारा कराने की अपनी सहमति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादी व प्रतिवादीगण दोनो ही उक्त आराजी का विभाजन कराने हेतु सहमत है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम गादेरी पटवार क्षेत्र गादेरी के खाता संख्या 102/477 किता 1 रकबा 0.47, खाता संख्या 103/465,466 किंता 13 रकबा 2.3, खाता संख्या 104/465, 466 किंता 7 रकबा 2.38, खाता संख्या 105/112 किंता 4 रकबा 0.32, खाता संख्या 231/298 किंता 2 रकबा 0.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :– श्रीनगर
प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

जितेन्द्र सिंह बनाम कैलाश कंवर

दावा बाबत :– 53, 88, 188, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 93/2017
पेश करने की दिनांक – 21.7.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई, प्रतिवादी पूनमचन्द बघेल व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम गादेरी के हाल खाता संख्या 102/477 किता 1 रकबा 0.47, 103/465 किता 13 रकबा 2.30, 104/465, 466 किता 7 रकबा 2.38, 105/112 किता 4 रकबा 0.32 231/298 किता 2 रकबा 0.04 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 8 माह जून सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner